

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 02 अगस्त, 2019

विषय:-जनपद सोनभद्र में औबरा वन प्रभाग में नै० जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लांट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अग्नि विंग पंचम तल, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ. नं०. 8-07/2019-एफसी, दिनांक 28.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियां की गई हैं, जो निम्नवत हैं :-

- i. The State Government should give details on what action has been taken against unauthorised use of forest land;
- ii. What action has been taken against erring officers who have issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in gross violations of Forest (Conservation) Act, 1980;
- iii. Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?
- iv. It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 28.08.2019 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर सुस्पष्ट रिपोर्ट/सम्बन्धित अभिलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।